न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प नेतरा

पीठासीन अधिकारी– श्री महीपाल कुमार, R.A.S.

राजस्व वाद सं. : 21/2012
तारीख दायरा : 28.03.2012
तारीख निर्णय : 16.06.2016

वादी	बनामः	प्रतिवादी
क्षेत्रीय वन अधिकारी, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला – पाली		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 90, 91, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री किशोर कुमार खण्डेलवाल उपस्थित।
2. प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर उपस्थित।

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि : 16.06.2016

राजस्व वाद के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है :–

1. कि वादी द्वारा वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी के खातेदारी घोषणात्मक बाबत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सरहद मौजा रोजडा तहसील सुमेरपुर मे स्थित वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नं. 1 रकबा 1565 बिघा खसरा नं. 2 रकबा 172 बीघा , खसरा नं. 4 रकबा 26.25 बिघा खसरा नं. 8 रकबा 346 बिघा 9 बिस्वा , खसरा नं. 10 रकबा 474.5 बिघा , खसरा नं. 14 रकबा 17.25 बिघा , खसरा नं. 41 रकबा 428.25 बिघा कुल खसरा 7 रकबा 3029 बिघा 16 बिस्वा भूमि वन विभाग को आवंटित की गई थी तथा इसका नामान्तरण भी नामा. संख्या 53 दिनांक 09.02.1983 को किया गया था। परन्तु उक्त इन्द्राज के वक्त भू–प्रबंध कार्यवाही जारी थी एवं नये रेकर्ड में इस नामान्तरण का अमल दरामद नही हुआ। लेकिन वर्तमान में भी मौके पर उक्त रकबे पर वक्त आवंटन से आज दिन तक मौके पर कब्जा वन विभाग का है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार कर व डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित करावें व प्रतिवादी किसी प्रकार से दखलअंदाजी व हस्तक्षेप नही करे, इस आशय की निषेधाज्ञा प्रदान करावें।
2. वादपत्र के जवाब हेतु प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। जिसे रेकर्ड पर लिया गया। जिसके अनुसार उक्त गत खसरा नं. 1 के नये खसरा नं. 1 से 6 , 15 से 35 बने है। इसी प्रकार गत खसरा नं. 8 के नये खसरा नं. 36 से 51 , 53, 74 से 83, 88, 121 से 123, 214 से 220 , 597 से 600 तथा 84/960 बने है। खसरा नं. 10 के नये नं. 55 से 73 , 81, 84 से 87 , 89 से 106 , 108 से 120, 124, 125, 128 से 139 , 155, 156 बने है। तथा खसरा नं. 41 के नये नं. 601 से 614 , 619 से 624 , 656 से 668, 591, 593, 596 बने है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

लगातार पेज 2 पर ....

Scanned by CamScanner

3. मौके पर कब्जे की स्थिति बाबत तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर से रिपोर्ट ली गई। जो निम्नानुसार है –

क्र.सं.	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)	क्र.सं.	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
1.	1	87.62	28.	39	1.58
2.	2	0.42	29.	41	0.36
3.	3	1.22	30.	45	1.05
4.	4	0.83	31.	46	0.46
5.	5	1.93	32.	47	0.29
6.	6	32.05	33.	48	0.43
7.	15	25.35	34.	50	41.28
8.	16	0.52	35.	51	0.58
9.	17	0.28	36.	55	0.36
10.	18	0.61	37.	61	12.36
11.	19	0.64	38.	72	0.75
12.	20	0.43	39.	73	142.64
13.	22	1.06	40.	100	2.33
14.	23	1.99	41.	104	0.81
15.	24	0.93	42.	105	0.31
16.	26	0.21	43.	106	95.35
17.	27	0.49	44.	108	0.97
18.	28	0.44	45.	110	0.53
19.	29	1.45	46.	111	1.12
20.	30	2.07	47.	112	0.37
21.	31	0.49	48.	114	0.50
22.	32	4.87	49.	115	1.56
23.	33	0.47	50.	116	5.08
24.	34	0.40	51.	117	0.52
25.	35	0.11	52.	125	4.10
26.	37	1.14	53.	128	0.86
27.	38	0.19	कुल रकबा		484.76

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर की रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त खसरे वर्तमान में राजकीय सिवायचक दर्ज है एवं मौके पर वन विभाग का कब्जा है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

4. हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन एवं विचारन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड एवं तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन एवं परीक्षण किया। हमने पाया कि गत खसरा नं. 01, 02, 04, 08, 10 व 41 बडे खसरा नं. थे। जिनके अनेक नये खसरा नम्बर बने है। जो सरकारी पेरोकार की रिपोर्ट एवं सलंग्न रेकर्ड से स्पष्ट है। इनमें से कई खसरा नम्बरान में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। कई खसरे ग्राम पंचायत को आवंटित हो चुके है। शेष रकबे पर वन विभाग का कब्जा है। वन विभाग के कब्जे वाली भूमि का रकबा 484.76 हेक्टर पूर्व आवंटित रकबे 3029 बिघा 16 बिस्वा के लगभग बराबर है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है तथा सरकारी पेरोकार की रिपोर्ट वर्णित कुल खसरा 53 रकबा 484.76 हेक्टर को वादी वन विभाग राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। माफिक निर्णय तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का नेतरा राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद कर पालना सुनिश्चित करे। आदेश की सत्यापित प्रति तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का नेतरा को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प नेतरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला–पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

Scanned by CamScanner